भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2879

05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

राशन कार्डों का स्वचालित स्थानांतरण

2879. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए निर्धन परिवारों के राशन कार्डों और खाद्य सुरक्षा पात्रता पर्चियों के स्वचालित स्थानांतरण के लिए कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाने का विचार है ताकि इन निर्धन परिवारों को विस्थापन के तुरंत बाद बिना किसी प्रशासनिक देरी के पुनर्वास के नए स्थान पर राशन प्राप्त हो सके;

(ग) सरकार द्वारा नॉर्द्र कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदान विस्तार योजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन का सामना कर रहे मोरवा क्षेत्र (सिंगरौली) में रहने वाले हजारों गरीब राशन कार्डधारकों के लिए तैयार की गई विशेष खाद्यान्न योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में एनसीएल प्रबंधन और क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन के लिए क्या विशेष निर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित की जाती है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर लाभार्थियों की पहचान और उनके राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। निवास स्थान परिवर्तन, जन्म, मृत्यु या श्रेणी में बदलाव जैसे परिवर्तनों के कारण राशन कार्ड जारी करने या संशोधित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः, लाभार्थियों के विस्थापन के कारण राशन कार्ड जारी करने या उसमें संशोधन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की होती है।

...2/-

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के प्रौद्योगिकी-संचालित सुधार के माध्यम से, पीएमजीकेएवाई लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरण पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी, अपनी पसंद की किसी भी उचित दर दुकान से अपने पात्र खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में, ओएनओआरसी सुविधा देश के सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सक्रिय है, जिससे लगभग 100% पीएमजीकेएवाई लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। अब तक, ओएनओआरसी के तहत 221 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन (प्रवासी श्रमिकों सहित) दर्ज किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ): एन.एफ.एस.ए. के अंतर्गत मोरवा क्षेत्र (सिंगरौली) के लिए कोई विशेष खाद्यान्न योजना नहीं है और इसलिए एन.सी.एल. प्रबंधन और क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
